राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 259/2016/सिरोही

....अपीलार्थी.

मैसर्स वीरेन्द्र उद्योग, सिरोही बनाम

 अपीलीय प्राधिकारी—द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर

2. सहायक आयुक्त, वा.क.वि., सिरोही

....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा, उप राजकीय अभिभाषकअपीलार्थी की ओर से.

....प्रत्यर्थी की ओर से. दिनांक : 06.02.2018

निर्णय

- 1. प्रस्तुत अपील अपीलार्थी व्यवहारी (जिसे आगे 'अपीलार्थी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 20/आरवेट/सिरोही/15—16 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, सिरोही द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23/25, 55, 61 एवं 65 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 13.03.2015 के जरिये कायम किये गये अन्तर कर रूपये 4,65,839/— एवं ब्याज रूपये 1,39,752/— को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है।
- 2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, सिरोही (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा व्यवहारी की उपलब्ध लेखा पुस्तकों की जांच पर पाया कि व्यवहारी द्वारा ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की बिक्री की गई है। परन्तु व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी को शुगर कैण्डी मानते हुए इस पर 5 प्रतिशत वैट संग्रहीत किया गया है। आलोच्य अवधि में विक्रीत माल ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की श्रेणी में आने तथा वैट अनुसूची—चतुर्थ के तहत् करयोग्य नहीं होने एवं वैट अनुसूची—पंचम के तहत् सामान्य कर दर से करयोग्य होना मानते हुए अंतर कर एवं ब्याज का आरोपण किया है।
 - 3. सक्षम अधिकारी ने पत्राविलयों, उपलब्ध रिकॉर्ड व प्रोडक्ट्स के रैपर्स (wrappers) के अवलोकन पर पाया कि अपीलार्थी द्वारा विक्रय किये जा रहा प्रोडक्ट अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 163 के अनुरूप Sugar Candy made of Sugar & Glucose but excluding coco नहीं है बिल्क यह ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी है। व्यवहारी द्वारा विक्रीत माल पर 5 प्रतिशत से कर संग्रहित करते हुए राजकोष में जमा कराया गया है। अतःएव आलोच्य अविध में अनुसूची–V के तहत सामान्य कर दर से करयोग्य माल

3/

W.

होने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा गलत निर्वचन करते हुए कम कर अदा किया जाना पाये जाने पर सक्षम अधिकारी ने व्यवहारी को नोटिस जारी किया एवं प्रस्तुत जवाब को अमान्य करते हुए अन्तर कर एवं ब्याज का आरोपण किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी की अपील अस्वीकार करते हुए अन्तर कर व ब्याज को यथावत रखा। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अन्तर कर व ब्याज के बिन्दुओं पर यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा विक्रय किया गया उत्पाद वैट अनुसूची—चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 163 के तहत आता है तथा उसी के अनुसार व्यवहारी ने कर संग्रहीत करते हुए राजकोष में जमा कराया है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01.06.2006 द्वारा अनुसूची चतुर्थ में नई प्रविष्टि संख्या 163 जोड़ी गई तदनुरूप 'Sugar candy made of sugar and glucose but excluding coco' जिसके अनुसार ही विक्रीत उत्पाद इस श्रेणी के होने के कारण तद्नुसार 5 प्रतिशत कर संग्रहीत करके जमा कराया गया। यह भी कथन किया कि अनुसूची—चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 163 में All type of sugar candy सिम्मलित है तथा 'Coco' से निर्मित केण्डी इसमें सम्मिलित नहीं है तथा कि विधायिका ने Sugar candies made of sugar and glucose and containg flavours, cream and colors को स्पष्टतः पृथक नहीं किया है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय Gurudevdutta VK Margyadit and others Vs. State of Maharashtra and others 2001 (004) SSC-0534(SC) का दृष्टान्त उद्धरित किया। साथ ही उन्होनें कथन किया कि व्यवहारी के उत्पाद प्राथमिक रूप में Sugar & Glucose से बने हैं तथा इनमें नाम मात्र के Flavouring Substances, Emulisifiers and colorants होते हैं। विद्वान अभिभाषक ने सीटीओ बनाम हीरालाल मुरलीधर 1993 टैक्स वर्ल्ड 32 को उद्धरित करते हुए बताया कि मीठी गोली जिसमें 90 प्रतिशत शुगर को कन्फैक्शनरी नहीं बल्कि शुगरकेण्डी माना गया है। विद्वान अभिभाषक ने अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर राजस्थान द्वारा अधिनियम की धारा 12-ए, आरएसटी एक्ट आदेश दिनांक 02.01.1989 मैसर्स अशोक एन्टरप्राईजेज, कोटा का दृष्टान्त देते हुए Lozenges Toffee को मीठी गोली माना जाना एवं विभाग पर बाध्यकारी होना बतलाया है। विद्वान अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 03.06.2008 के द्वारा अनुसूची-चतुर्थ में नई प्रविष्टि 174 जोड़ी गई तदनुरूप दिनाक 01.04.2006 से दिनांक 07.05.2006 तक की अवधि हेतु ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी पर 5 प्रतिशत की कर दर विहित की गई जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने समस्त माल को ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी मानकर सामान्य कर दर तथा ब्याज आरोपित कर दिया जो कि उक्त अधिसूचना के आलोक में विधिनुकूल नहीं है।

h h

अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये :-

- 1. Commissioner Income Tax Vs Sun Engineering Works reported in 1993 UPTC 110 (SC)
- 2. Madhav Rao Jiwaji Rao Scindia Bahadur Vs Union of India [1971(3) SCR 9]

3. C Balachandran Vs State of Kerala (2009) 3 SCC 179

- 4. Parbha Shanker Dubey Vs State of M.P. (2004) 2 SCC 56
- 5. Divisiona Controller K.S.R.T.C. Vs Mahadeva Shetty &Others 2003 (90) AIR 4172 SC

6. HPL Chemicals Ltd. Vs CCE (2006) 5 SCC 208.

7. Commissioner of Central Excise Bhuwaneshwar I Vs Champdany Industries Ltd. (2009) 9 SCC 466

8. Bharat Forge and Press Industries (P) Ltd. Vs CCE, (1990) 1 SCC 532

- State of Maharashtra Vs Bradma of India Limited reported in 2005 (140) STC 17 SC
- 10. M/s Maruti Yeast India (P) Limited Vs State of U.P. reported in 2008 NTN (Vol. 37) 57 SC
- 11. M/s Hindustan Poles Corporation Vs CCE reported in 2006 (145) STC 625
- 12. M/s Jalani Enterprises rported in 2011 (39) VST 421 SC.

उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में विद्वान अभिभाषक ने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.04.2006 से अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 154 जोड़ी गई थी, जो निम्न प्रकार से थी:-

"154 unbranded bakery products including cookies, cakes and pestries, confectionery excluding chocolates"

दिनांक 08.05.2006 की अधिसूचना से Confectionery के पूर्व में unbranded शब्द जोड़ा गया। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी स्वतः ही प्रविष्टि संख्या 154 से बाहर हो गई एवं अनुसूची पंचम के अनुसार सामान्य कर दर से कर योग्य हो गई। उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2017 मैसर्स परफेटी वैन मेले इण्डिया प्रा.लि. बनाम सरकार STR संख्या 473/2011 एवं अन्य को उल्लिखित करते हुए समान तथ्यों पर आधारित प्रकरणों में ब्राण्डेड कन्फेशनरी की बिक्री पर आरोपित residuary rate से आरोपित कर एवं ब्याज की पुष्टि की है। अतः प्रस्तुत प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित होने के कारण सन्दर्भित निर्णय इस पर पूर्णतया लागू होने से उन्होनें व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया है।

- 7. उभय पक्षीय बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि व्यवहारी द्वारा राज्य के भीतर विक्रीत माल 'ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी' है या नहीं तथा इस पर कर दर क्या होगी ?
- 8. सक्षम अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में विक्रीत माल अधिनियम की अनुसूची—IV की प्रविष्टि संख्या 163 "Sugar Candy made of sugar & Glucose but excluding coco" के अनुसार 5 प्रतिशत करदेयता का नहीं मानते हुए इसमें Sugar and Glucose के अलावा अन्य खाद्य सामग्री की Mixing and Blending से निर्मित

31_____

ब्राण्डेड उत्पाद की बिक्री होने से इसे अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्ठि संख्या "154 unbranded bakery products including cookies, cakes and pestries, confectionery excluding chocolates " से बाहर ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी माना है। अनुब्राण्डेड कन्फेक्शनरी यद्यपि अधिसूचना दिनांक 08.05.2006 के अनुसार 5 प्रतिशत की दर से करयोग्य है परन्तु इस अधिसूचना के प्रभाव से ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी सामान्य कर दर से करयोग्य हो गई। अतः व्यवहारी द्वारा की गई ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की बिक्री होना सिद्ध होता है। सक्षम अधिकारी व अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में समस्त तथ्यों को विस्तृत रुप से विवेचित करते हुये व्यवहारी द्वारा की गई विवादित बिक्री को ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी प्रोडेक्ट की ही बिक्री माना गया है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 25.02.2008 से उपरोक्त वर्णित समस्त अधिसूचनाऐं दिनांक 01.04.2006 से प्रभावशील हैं। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की अनुसूची-ए के तहत निर्धारित सामान्य दर से करदेयता निर्धारित करते हुये व्यवहारी के विरुद्ध आलौच्य अवधि में करारोपण किया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने भी समान तथ्यों पर विवादित कन्फेक्शनरी पर एसबी एसटीआर संख्या 473 / 2011 मैसर्स परफेटी वैन मेले इण्डिया प्रा०लि०, जयपुर व अन्य बनाम उपायुक्त (अपील्स) तृतीय व अन्य निर्णय दिनांक 17.02.2017 में दिये गये निर्णय के पैरा संख्या 17 एवं 19 में सुस्थापित किया है कि :--

"17. Taking into consideration the judgment of this court in the case of M/s. Heera Lal Murlidhar (supra), where this court has taken into consideration the meaning of "confectionery" from various dictionaries, as reproduced hereinbefore, it would show that the AO had taken into consideration that the products manufactured by the assesses are produced on account of constant mixing and blending with various ingredients and these are hardened sweet confectionery which are prepared by mixing various ingredients. Applying the test as laid down by this court in the case of M/s Heera Lal Murlidhar (supra), a sugar candy or Meethi Goli which was considered by this court contains purely lumps of sugar and nothing more, whereas in the instant case it is merely not sugar but many more ingredients are added to it. These are essentially toffees or other products and cannot fall purely as a Sugar Candy containing majority of sugar."

"19. In my view, applying the common parlance test which has been held appropriate by the Apex court time and again in matters like this, the products in which the assessee are dealing, are certainly branded toffees. Taking into consideration the aforesaid reasoning of the Apex court as well as by this court (supra), in my view the finding reached by all the three authorities in unision is well reasoned and no interference is required to be taken into consideration and accordingly while the tax is upheld and consequently the interest being consequential, is also upheld."

9. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी ने प्रश्नगत उत्पाद मैसर्स परफैटी वैन मैले इंडिया प्राoलिo से ही क्रय किये है तथा इस विक्रेता के उपरोक्त संदर्भित प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस उत्पाद को कन्फैक्शनरी माना है, अतः उक्त

3/

न्यायदृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण में पूर्ण रूपेण लागू होता है। अतः अन्तर कर व ब्याज के बिन्दु पर सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है। व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों के तथ्य हस्तगत प्रकरण से मेल नहीं खाते हैं, अतः ससम्मान लागू नहीं कर पाते हैं।

10. उपरोक्तानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.2.2017 के परिप्रेक्ष्य में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरुप व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(ओ.एस.आशिया) सदस्य (मदन लाल मालवीय) सदस्य